

राजस्थान सरकार

(कायदा 120)

जनरल रुल्स सिविल रुल्स 129 अपेन्डिक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बित्तौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

(2024/191)

क्रिम मुकदमा	नंबर मुकदमा	सारीख दागर	सारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
111-178	126/2024	9/5/2024		23/05/24
				30/5/24
				रिजर्व

अनवान

श्री माली लोदां पुराण भील श्री राम लाल खियां पुराण भील

निवासी हेम खियां

निवासी हेम खियां

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेष्पोडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री राम लाल खियां

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाग

बिजौलियां

नामा बनाम राम नाम
किरम मुकदमा - 111-128 नम्बर 126 / 2024

रीख म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
----------	-----------------------------------	---------------------------------------------------------------

915
2024 प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 23/05/2024 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

23/05/24

पत्रावली पेश हुयी अधिवक्ता पार्टी उपस्थित।
विपक्षीगण बाद खूग मनुपस्थित। विपक्षीगण
के विरुद्ध एक - पक्षीय मोदेश पारित
किए गए। पत्रावली वास्ते मोदेश आगामी
दिनांक 30/05/24 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

30/05/24

पत्रावली पेश हुयी अधिवक्ता पार्टी उपस्थित।
पत्रावली में मोदेश पारित किए। पत्रावली
में तहलीलदार बिजौलियां को तारीख जारी
हो। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर
से कम होकर दाखिल पस्तर हों।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या :- 126/24

तारीख दायर 9/5/24

ताली पति पांचूलाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी हेमनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... प्रार्थिया

बनाम

1. रामलाल पुत्र पांचूलाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी हेमनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. सरजू पति कवरलाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी हेमनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा०ले०रे०एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 26/05/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री घनश्यामलाल धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम बहादुर जी का खेड़ा पटवार हल्का कार्या कला तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 35 पर अंकित आराजी संख्या 14, 17 कुल किता 2 रकबा 0.8660 हैक्टयर भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा करते हैं। अतः परथरगढ़ी का आदेश प्रदान करायया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की तारीख में शपथपत्र संलान है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलान जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार कारखतार है। पडौंसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलान है। परथरगढ़ी से किस्ती के खत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक कार्या को परथरगढ़ी बाबत कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम बहादुर जी का खेड़ा पटवार हल्का कार्या कला तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 35 पर अंकित आराजी संख्या 14, 17 कुल किता 2 रकबा 0.8660 हैक्टयर भूमि बशामलाल पडौंसियान के परथरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं परथरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला: भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 126/24

तारीख दायर 9/5/24

प्रेषिति :-

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या126..... / 2024 पत्थरगढ़ी बाबत।

लाली पत्नि पांचूलाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी हेमनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थीया

बनाम

1. रामलाल पुत्र पांचूलाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी हेमनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. सरजू पत्नि कंवरलाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी हेमनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम बहादुर जी का खेड़ा पटवार हल्का कास्या कला तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 35 पर अंकित आराजी संख्या 14, 17 कुल किता 2 रकबा 0.8660 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पड़ोसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कास्यां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पूर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सूचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

3
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

